Bundelkhand Journal of Academic Research

चित्रकूट जिले के गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'[1], राम लखन[2]

1. असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

2. शोधार्थी (एमए अर्थशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** gajendrashodh1988@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21790094

सारांश

चित्रकूट बुंदेलखंड का एक ऐसा जिला है जो भौगोलिक चुनौतियों के कारण आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है। नीति आयोग द्वारा इसे आकांक्षी जिला घोषित किया गया, जिसके बाद से यहाँ गरीबी निवारण और बुनियादी विकास के लिए सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई है। गरीबी वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास जीवन निर्वाह का एक बुनियादी स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन या संसाधन नहीं होते हैं। गरीबी निवारण या गरीबी उन्मूलन आर्थिक और मानवीय उपायों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकालना है। गरीबी निवारण एक जटिल समस्या है जिसके लिए समंवित और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। गरीबी उन्मूलन के लिये भारत 'क्रमिक दृष्टिकोण' अपना रहा है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और आजीविका संवर्धन को शामिल किया गया है। चूंकि वर्ष 2030 तक दुनिया से सभी लोगों के लिए चरम गरीबी का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्यों का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए, प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं ने चित्रकूट को 'गरीबी के टैग' से बाहर निकालने में कोई अहम भूमिका निभाई है और बुनियादी सुविधाओं के स्तर पर यहाँ की गरीबी को किस हद तक कम किया है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट जिले के गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 20 मई, 2026	**स्वीकृत:** 30 मई, 2026	**प्रकाशित:** 30 जून, 2026
	सारणी: 32	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 19
	मुख्य शब्द: गरीबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा, सशक्तिकरण, बुनियादी सुविधाएं, चित्रकूट।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : भारत में गरीबी उन्मूलन (गरीबी हटाओ) का आधिकारिक रूप से सूत्रपात पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) के दौरान किया गया था। इस अवधारणा का मुख्य लक्ष्य आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और बुनियादी जरूरतों (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) को पूरा करना था। देश में तब से अब तक गरीबी निवारण के प्रयास अनवरत जारी हैं। हालांकि देश के कई क्षेत्रों में गरीबी अभी भी एक बडी चुनौती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र का चित्रकूट जिला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जितना समृद्ध है, आर्थिक रूप से यह लंबे समय से उतनी ही गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि, हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं के असर से यहाँ की गरीबी दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग द्वारा निर्गत बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, चित्रकूट में गरीबी की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह जिला काफी पिछड़ा रहा है। वर्ष 2015–16 (एनएफएचएस–4) में चित्रकूट की लगभग 52.86 प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब थी। वर्ष 2019–21 (एनएफएचएस–5) के आंकड़ों के आधार पर जारी रिपोर्ट में इसमें 21.40 प्रतिशत अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस सुधार के बावजूद, चित्रकूटधाम मंडल और बुंदेलखंड क्षेत्र के अन्य जिलों की तुलना में चित्रकूट में गरीबी अनुपात अब भी काफी संवेदनशील श्रेणी में आता है। चित्रकूट में जिले की कुल आबादी का पांचवां हिस्सा अभी भी गरीबी के दलदल में जी रहा है।

चित्रकूट की गरीबी केवल मौद्रिक (आय की कमी) नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई भौगोलिक और सामाजिक कारण जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, चित्रकूट का बड़ा हिस्सा पठारी और पथरीला है। यहाँ कृषि योग्य भूमि सीमित है और मिट्टी की जलधारण क्षमता बहुत कम है। बुंदेलखंड का यह हिस्सा लंबे समय से सूखा प्रवण रहा है। सिंचाई के साधनों की कमी के कारण किसान साल में केवल एक ही मुख्य फसल ले पाते हैं, जिससे कृषि से होने वाली आय बेहद कम है। जिले में बड़े उद्योगों या निजी नौकरियों के अवसरों का अभाव है। जिले के लोग आजीविका के लिए पूरी तरह से खेती, वनोपज (जैसे तेंदूपत्ता, महुआ संग्रह) या मजदूरी आय पर निर्भर हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार न मिलने के कारण हर साल पुरुषों और युवाओं का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे महानगरों में मजदूरी के लिए पलायन करता है। चित्रकूट के मानिकपुर और पाठा जैसे सुदूर वन क्षेत्रों में कोल जैसी जनजातियां निवास करती हैं। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों की पहुंच कठिन रही है।

1.1. गरीबी का आशयः गरीबी की अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा में समय के साथ परिवर्तन होते रहे हैं। अब यह आर्थिक अस्तित्व पर केंद्रित दृष्टिकोण से विवर्तित होकर बहुआयामी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हो चुकी है। विश्व बैंक प्रतिदिन 3.00 डॉलर (2021 की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर समायोजित) की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (आईपीएल) का उपयोग करके अत्यधिक गरीबी को मापता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र आय से परे जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक बहिष्कार को भी शामिल करता है। भारत में भी गरीबी की परिभाषा अब केवल भोजन तक सीमित नहीं है। पहले गरीबी में केवल 'कैलोरी (भोजन)' को आधार माना गया था (जैसे दांडेकर–रथ समिति, अलघ समिति, लकड़ावाला समिति)। अब गरीबी बहुआयामी (जैसे लकड़ावाला समिति, रंगराजन समिति) हो गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और जीवन स्तर को भी शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक का उपयोग करते हैं। निरपेक्ष गरीबी का अर्थ बुनियादी जरूरतों का अभाव है, जबकि सापेक्ष गरीबी समाज के औसत आय स्तर की तुलना में मापी जाती है।

ऐतिहासिक रूप से गरीबी की अवधारणा मुख्य रूप से एक स्थानीय या राष्ट्रीय चिंता का विषय थी। लेकिन 1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहला मानकीकृत वैश्विक मानदंड बनाया, जिसे व्यापक रूप से 'डॉलर–प्रतिदिन' रेखा के रूप में स्थापित किया गया है। गरीबी का यह निरपेक्ष माप दुनिया के सबसे गरीब देशों की क्रय शक्ति के आधार पर भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी न्यूनतम जीवनयापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक औसत सीमा को दर्शाता है। हालांकि इस औसत सीमा में समय समय पर आवधिक मौद्रिक समायोजन भी किए गए हैं। जैसे–जैसे मुद्रास्फीति और वैश्विक जीवनयापन की लागत बढ़ी, इस आधारभूत रेखा को इसके वास्तविक मूल्य को बनाए रखने के लिए समय–समय पर संशोधित करने की आवश्यकता पड़ी है। उदाहरण के लिए वर्ष 2008 में अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को 1 डॉलर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.25 डॉलर प्रतिदिन कर दिया गया। वर्ष 2015 में विकासशील देशों में अद्यतन मूल्य आंकड़ों को दर्शाने के लिए (2011 की क्रय शक्ति समता (पीपीपी) का उपयोग करते हुए) इसे बढ़ाकर 1.90 डॉलर प्रतिदिन कर दिया गया। वर्ष 2022 में इसको समायोजित करके 2.15 डॉलर प्रतिदिन (2017 पीपीपी) कर दिया गया। जून 2025 में विश्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर बुनियादी आवश्यकताओं की लागत को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए चरम गरीबी की सीमा को बढ़ाकर 3.00 डॉलर प्रतिदिन कर दिया। यह बदलाव 2021 के पीपीपी का इस्तेमाल करता है ताकि दुनिया भर में भोजन, आवास और अन्य बुनियादी जरूरतों की बढ़ती लागत को सही ढंग से दिखाया जा सके। भारतीय मुद्रा में यह लगभग 250 रुपए प्रतिदिन से कम कमाने वाले लोगों की स्थिति को दर्शाता है।

1.2. गरीबी निवारण हेतु सरकारी योजनाएंः भारत में गरीबी कम करने वाली सरकारी योजनाओं को मजदूरी उपलब्ध कराने, स्वरोजगार पैदा करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी जरूरतों के आधार पर बांटा जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो रोजगार सृजन, आवास, खाद्य सुरक्षा और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित हैं, इनमें से प्रस्तुत शोध में शामिल योजनाएं निम्न प्रकार हैंः

1.2.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार की सुविधा प्रदान करती है।

1.2.2. दीनदयाल अंत्योदय योजनाय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से स्थायी आजीविका और कौशल प्रदान किया जाता है।

1.2.3. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) और शहरी (पीएमएवाई–यू) क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के घर बनाए जाते हैं।

1.2.4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के माध्यम से सभी पात्र परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न (अनाज) प्रदान किया जाता है, ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल सके।

1.2.5. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए वित्तीय समावेशन योजना है, जिसके तहत जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोल दिए जाते हैं। यह बैंकिंग, बीमा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तक पहुंच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है।

1.2.6. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई) के तहत ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण द्वारा व्यवसाय और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

1.2.7. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है, जिसका लक्ष्य युवाओं को मुफ्त, उद्योग–प्रासंगिक प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके रोजगार योग्य बनाना है। यह रोजगार क्षमता में सुधार के लिए कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित करती है।

1.2.8. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है।

1.2.9. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन प्रदान किया जाता है।

1.2.10. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) केंद्र सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपए की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में (प्रत्येक 2000 रुपए) सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी भूमि–धारक किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।

1.3. शोध के उद्देश्य: प्रस्तुत शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या चित्रकूट के अंतिम छोर अथवा हाशिए के परिवारों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है? यदि मिल रहा है तो लाभार्थियों की आय और जीवन–स्तर में कितना सुधार हुआ है? इसलिए प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं रू

1. चित्रकूट जिले में संचालित गरीबी निवारण योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना।
2. गरीबी निवारण योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन करना।
3. गरीबी निवारण योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का आकलन करना।
4. लक्षित परिवारों पर योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना।

2. साहित्य की समीक्षा: साहित्य समीक्षा किसी विशेष शोध विषय पर पहले से प्रकाशित पुस्तकों, लेखों और शोध–पत्रों का आलोचनात्मक विश्लेषण है। इसका उद्देश्य स्रोतों का सारांश देना, उनके निष्कर्षों का मूल्यांकन करना और वर्तमान शोध में मौजूद अंतरालों की पहचान करके अपने वर्तमान शोध के लिए आधार तैयार करना है। यह प्रक्रिया प्रस्तावित शोध को प्रामाणिकता प्रदान कर यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्तावित शोध कार्य पहले से किए गए अध्ययनों का दोहराव न हो।

बुंदेलखंड क्षेत्र में हालिया वर्षों में किए गए शोध अध्ययन बताते हैं कि 'हर घर नल योजना' के तहत चित्रकूट के ग्रामीण व पहाड़ी इलाकों में पीने का साफ पानी पहुंचने से महिलाओं के श्रम और समय की बचत हुई है, जिससे वे अन्य आजीविका गतिविधियों में जुड़ सकी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को छोटे–मोटे गृह उद्योग (जैसे दोना–पत्तल बनाना, डेयरी, सिलाई) से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण और धार्मिक पर्यटन के विकास से चित्रकूट के शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय) और मुफ्त राशन वितरण ने परिवारों के जीवन स्तर के अभावों को सीधे तौर पर कम किया है।

शोध अध्ययन बताते हैं कि चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है, जो लंबे समय से सूखे, पथरीली भूमि और ढांचागत पिछड़ेपन से जूझता रहा है। बुंदेलखंड में ग्रामीण आजीविका पर अपने अध्ययन में उन्होंने रेखांकित किया कि लगातार पड़ने वाले सूखे और कृषि की वर्षा पर निर्भरता ने यहाँ की ग्रामीण आबादी की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यहाँ गरीबी उन्मूलन के लिए केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और कौशल विकास की दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है (पुरूषोत्तम एवं सारंगा पाणि, 2016)।

नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, चित्रकूट उत्तर प्रदेश के उन जिलों में से एक है जहाँ बहुआयामी गरीबी (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर) की दर ऐतिहासिक रूप से उच्च रही है, हालांकि हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं के सघन क्रियान्वयन से इस दर में काफी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण के लिए रोजगार गारंटी और कौशल विकास योजनाओं को सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है।

शोधकर्ताओं (जैसे जेईटीआईआर, 2022) के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने चित्रकूट जैसे पिछड़े जिलों में संकटकालीन समय (विशेष रूप से कोरोना महामारी और सूखे के दौर) में ग्रामीण परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम किया। यह योजना सीधे तौर पर ग्रामीण परिवारों के उपभोग स्तर को बढ़ाने और पलायन को रोकने में आंशिक रूप से सफल रही है। हालांकि, कई अध्ययनों में प्रशासनिक शिथिलता और समय पर भुगतान न होने जैसी बाधाओं को भी रेखांकित किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर हुए कुछ शोध अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर वित्तीय साक्षरता और लघु उद्यमों के लिए सूक्ष्म वित्तीयन प्रदान करने से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है। चित्रकूट के संदर्भ में, स्वयं सहायता समूहों ने महिला सशक्तिकरण और घरेलू गरीबी को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के शोध पत्रों (जैसे कौशल विकास व ग्रामीण कल्याण अध्ययन) में पाया गया कि उज्ज्वला योजना ने गरीब और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्ति देकर उनके स्वास्थ्य में सुधार किया है। हालांकि, समीक्षा यह भी दर्शाती है कि गरीबी के कारण कई परिवार सिलेंडर को दोबारा भरवाने में असमर्थ रहते हैं, जिससे इसके पूर्ण लाभ में कमी आती है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और वित्तीय समावेशन के संबंध में शोधकर्ताओं (गुलिया, 2025 व अन्य) ने पाया कि डीबीटी (जैसे पीएम–किसान, छात्रवृत्ति और पेंशन) के कारण सरकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार और 'लीकेज' में भारी गिरावट आई है, जिससे वास्तविक गरीबों तक सीधे पैसा पहुँच रहा है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर बैंकिंग बुनियादी ढांचा और डिजिटल साक्षरता की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। कुछ शोध अध्ययनों से पता चलता है कि चित्रकूट में हो रहे हालिया बदलावों और पर्यटन आधारित विकास का गरीबी उन्मूलन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। चित्रकूट को 'डिफेंस कॉरिडोर' और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी से जोड़ने के साथ–साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश से स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। धार्मिक और पारिस्थितिक पर्यटन के विकास से यहाँ के हस्तशिल्पकारों, छोटे दुकानदारों और स्थानीय सेवा प्रदाताओं की आय में सुधार हुआ है।

2.1. शोध अंतरालः किसी विषय पर शोध करते समय अनुसंधान अंतराल को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह वह क्षेत्र है जहाँ मौजूदा अध्ययनों में कमी रह गई है और प्रस्तावित शोध उन कमियों को पूरा करके एक नया दृ ष्टिकोण प्रदान करेगा। इस संदर्भ में ज्यादातर शोध केवल एकल योजनाओं (जैसे केवल मनरेगा, केवल उज्ज्वला, या केवल जनधन योजना) के व्यक्तिगत प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन योजनाओं के मिश्रित प्रभाव पर शोध की कमी है कि जब एक ही गरीब परिवार को एक साथ कई योजनाएं (जैसे पीएम आवास + शौचालय + उज्ज्वला + जल जीवन मिशन + राशन) मिलती हैं, तो उसका संचयी या संयुक्त प्रभाव गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कितना कारगर होता है।

अधिकांश अध्ययनों में प्राथमिक आंकड़े उन गांवों या ब्लॉक मुख्यालयों से एकत्र किया जाता है जो सड़क मार्ग से सुगम हैं। जबकि चित्रकूट के वन–क्षेत्रीय, दुर्गम और पथरीले इलाकों (विशेष रूप से पाठा क्षेत्र और सुदूर कोल/आदिवासी बहुल मजरे) में कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी पहुंच और प्रभाव का कोई विशिष्ट तुलनात्मक डेटा उपलब्ध नहीं है। मुख्यधारा के गांवों बनाम सुदूर गांवों के बीच योजनाओं के प्रभाव की विषमता पर भी शोध की आवश्यकता है।

अधिकांश अध्ययन गरीबी निवारण को केवल 'तात्कालिक उपभोग' या राहत के चश्मे से देखते हैं (जैसे मुफ्त राशन मिलने से भोजन की सुरक्षा)। लेकिन क्या ये सरकारी योजनाएं चित्रकूट के गरीबों को दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्रदान कर रही हैं, या वे केवल सरकारी सहायता पर ही निर्भर बने हुए हैं? मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को ऐसा कौशल प्रदान करने में कितनी सफल रहीं कि वे योजना बंद होने के बाद भी स्वयं कमा सकें? इस प्रकार के 'कौशल–आजीविका संबंध' पर बहुत कम शोध हुआ है।

महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन और उनकी वित्तीय पहुंच पर सांख्यिकीय अध्ययन उपलब्ध हैं। चित्रकूट जैसे पारंपरिक और पितृसत्तात्मक समाज वाले जिले में, महिलाओं के नाम पर मिलने वाले वित्तीय लाभ (जैसे स्वयं सहायता समूह का ऋण, पीएम आवास का मालिकाना हक) पर वास्तव में किसका नियंत्रण है? क्या योजनाएं महिलाओं को निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति दे पा रही हैं या वे केवल कागजों पर लाभार्थी हैं? महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास की राह में आने वाले सामाजिक अवरोधों और योजनाओं के क्रियान्वयन के बीच की खाई पर गहरा गुणात्मक शोध उपलब्ध नहीं है।

3. अनुसंधान पद्धतिः उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट जिला भौगोलिक रूप से पथरीला, सूखा प्रवण और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं (जैसे मनरेगा,

पीएम आवास, एनआरएलएम आदि) के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक बहु–आयामी शोध पद्धति निम्नानुसार हैरू

3.1. शोध डिजाइनः चित्रकूट जिले में गरीबी निवारण योजनाओं के प्रभाव के अध्ययन के लिए 'मिश्रित शोध पद्धति' सबसे उपयुक्त है। इससे योजनाओं के मात्रात्मक और गुणात्मक बदलाव दोनों का सटीक मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

3.2. शोध की आवश्यकताः प्रस्तुत अध्ययन योजनाओं की जमीनी हकीकत समझने, वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और नीति निर्माण में सुधार के लिए आवश्यक है ताकि बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र चित्रकूट से गरीबी को उन्मूलित और पलायन को रोका जा सके। यह क्षेत्र जल संकट और कृषि की उच्च संवेदनशीलता से जूझ रहा है। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि सरकारी योजनाओं (जैसे मनरेगा, पीएम आवास योजना) का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों, विशेषकर सीमांत समूहों तक पहुँच रहा है या नहीं। अकांक्षी जिला होने के कारण जिले के विकास के लिए भारी बजट आवंटित होता है। अध्ययन यह जानने में मदद करता है कि बजट का सही उपयोग अथवा सदुपयोग हो रहा है या नहीं। चूंकि हर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, इसलिए यह अध्ययन स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नीतियां बनाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, चित्रकूट में केवल कृषि आधारित योजनाओं के बजाय जल प्रबंधन और सूक्ष्म उद्यमों (जैसे पशुपालन) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसका सही मार्गदर्शन ऐसे अध्ययनों से मिलता है।

3.3. लक्षित जनसंख्याः चित्रकूट जिले में गरीबी निवारण योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए लक्षित जनसंख्या का चयन शोध के उद्देश्यों और भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर है। अध्ययन में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले या फिर गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्तकर्ता दोंनों को शामिल किया गया है। अध्ययन में जिले के ग्रामीण और शहरी परिवार दोनों शामिल हैं।

3.4. नमूना आकारः जिले के 3 विकास खंडों को शोध में शामिल किया गया, जिनमें से कुल 70 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण में शामिल किया गया है। उत्तरदाताओं के नमूने में ऐसे गरीब परिवारों को शामिल किया गया है, जो कम से कम 3 अथवा 3 से अधिक योजनाओं के लाभार्थी हैं।

3.5. नमूना तकनीकः खुले प्रश्नों वाली एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसमें जनसांख्यिकी, भूमि स्वामित्व, आय के स्रोत, प्राप्त योजनाओं के लाभ और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसके अलावा समूह केंद्रित चर्चा भी की गई है। शोध को सटीक बनाने के लिए जिले के विभिन्न विकास खंडों से स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का उपयोग करके उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

3.6. अध्ययन का क्षेत्रः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र का चित्रकूट जिला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जितना समृद्ध है, आर्थिक रूप से यह लंबे समय से उतनी ही गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। चित्रकूट की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, धार्मिक पर्यटन और हस्तशिल्प पर निर्भर है। जिले का मुख्य आधार कृषि है। जिले के करीब 70 प्रतिशत किसान सीमांत श्रेणी के हैं, और मुख्य फसलें चावल, गेहूं, चना और मसूर हैं। हालाँकि, अनियमित मानसून और सूखे के कारण कृषि आय सीमित है। इसके बावजूद, सरकारी योजनाओं के असर से यहाँ की गरीबी दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, चित्रकूट में गरीबी की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह जिला काफी पिछड़ा रहा है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में चित्रकूट जिले के 3 विकासखंडों को शोध में शामिल किया गया।

4. आंकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचनः प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन आदि से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रस्तुत विश्लेषण का उद्देश्य यह बताना है कि एकत्रित आँकड़े शोध के उद्देश्यों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं पर्यावरण से प्रभावित होता है। सभी समूहों की किसी योजना के प्रति राय समान नहीं हो सकती। लिंग, आयु, जाति, धार्मिक विश्वास, सस्कृति, शिक्षा आदि चिंतन एवं शोध के स्तर पर प्रभाव डालते हैं। उत्तरदाता जिस सामाजिक–आर्थिक संदर्भ समूह में रह रहे होते हैं, उसका प्रभाव उनकी प्रतिक्रया पर भी पड़ता है।

सारणी–1 में सरकारी योजनाओं के 70 लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण लिंग, जाति, समुदाय और शैक्षिक स्थिति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 70 उत्तरदाताओं में 51.43 प्रतिशत महिलाएँ तथा 48.57 प्रतिशत पुरुष हैं। स्पष्ट है कि अध्ययन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक है। जाति के आधार पर अनुसूचित जाति के 42.86 प्रतिशत उत्तरदाता सर्वाधिक हैं। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 34.29 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के 22.86 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अपेक्षाकृत अधिक अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों तक पहुँचा है।

धर्म के आधार पर 72.86 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू तथा 27.14 प्रतिशत उत्तरदाता मुस्लिम एवं अन्य धर्मों से संबंधित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में हिन्दू लाभार्थियों का अनुपात अधिक है। शैक्षिक स्तर के अनुसार 34.29 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित हैं, जो सर्वाधिक है। इसके बाद 30.00 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षित, 25.71 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षित तथा 10.00 प्रतिशत उच्च शिक्षित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश लाभार्थी निम्न शैक्षिक स्तर से संबंधित हैं तथा उच्च शिक्षित लाभार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

सारणी–1 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्ययन में महिलाओं की भागीदारी थोड़ी अधिक है। लाभार्थियों में अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रभुत्व दिखाई देता है।

सारणी-1: सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण

सामाजिक पृष्ठभूमि	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
लैंगिक संरचना	पुरुष	34	48.57
	महिला	36	51.43
जाति संरचना	सामान्य वर्ग	16	22.86
	अन्य पिछड़ा वर्ग	24	34.29
	अनुसूचित जाति	30	42.86
धार्मिक संरचना	हिन्दू	51	72.86
	मुस्लिम व अन्य	19	27.14
शैक्षिक स्थिति	अशिक्षित	24	34.29
	प्राथमिक शिक्षित	21	30.00
	माध्यमिक शिक्षित	18	25.71
	उच्च शिक्षित	07	10.00
	कुल उत्तरदाता	**70**	**100**

अधिकांश उत्तरदाता हिन्दू धर्म के हैं, जबकि शैक्षिक दृष्टि से अशिक्षित एवं प्राथमिक शिक्षित लाभार्थियों की संख्या अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मुख्यतः सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से अपेक्षाकृत वंचित वर्गों तक पहुँच रहा है।

4.1. गरीबी निवारक योजनाओं का योजना आधारित प्रभाव : गरीबी निवारण में विभिन्न सरकारी योजनाओं के योजना आधारित प्रभाव का आकलन सारणी–2 से 9 तक प्रस्तुत किया गया है, जिनके तहत सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण किया गया है।

सारणी–2 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्राप्त निःशुल्क खाद्यान्न से परिवार में खाद्य सुरक्षा की समस्या कम होने के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल 70 उत्तरदाताओं में से 48.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि योजना से मिलने वाले मुफ्त अनाज के कारण उनके परिवार में खाद्य सुरक्षा की समस्या कम हुई है। इसके विपरीत 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खाद्य सुरक्षा की समस्या कम होना स्वीकार नहीं किया, जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे उत्तरदाताओं ने योजना को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में लाभकारी माना है। हालांकि, एक उल्लेखनीय हिस्सा इसके प्रभाव को स्वीकार नहीं किया तथा कुछ उत्तरदाता निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके। इससे निष्कर्ष निकलता है कि योजना का प्रभाव सकारात्मक रहा है, लेकिन इसका लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया।

सारणी-2: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्नः क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मिले मुफ्त अनाज से परिवार में भुखमरी की समस्या दूर हुई है?	हां	34	48.57
	नहीं	25	35.71
	अनिश्चित	11	15.71
	कुल योग	70	100

सारणी-3: प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्नः क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा में बदलाव आया है?	हां	30	42.86
	नहीं	28	40.00
	अनिश्चित	12	17.14
	कुल योग	70	100

सारणी–3 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान प्राप्त होने से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा में आए परिवर्तन के संबंध में उत्तरदाताओं की राय दर्शायी गई है। कुल उत्तरदाताओं में से 42.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि पक्का मकान मिलने से उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। वहीं 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इसके अतिरिक्त 17.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सामाजिक प्रतिष्ठा पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि, लगभग समान अनुपात में उत्तरदाताओं ने इसका प्रभाव अनुभव नहीं किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि योजना ने अनेक परिवारों के सामाजिक सम्मान में वृद्धि की है, किन्तु इसका प्रभाव सभी लाभार्थियों में समान रूप से परिलक्षित नहीं हुआ।

सारणी–4 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस (एलपीजी) उपलब्ध होने से महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल उत्तरदाताओं में से

42.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उज्ज्वला योजना से उन्हें सकारात्मक लाभ प्राप्त हुआ तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ। इसके विपरीत 37.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना का कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (42.86 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने उज्ज्वला योजना के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि स्वच्छ ईंधन के उपयोग से धुएँ के संपर्क में कमी आई, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य तथा घरेलू जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। हालांकि, पर्याप्त संख्या में उत्तरदाताओं ने इसके प्रभाव को अनुभव नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है।

सारणी-4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना योजना का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या उज्वला योजना में रसोई गैस मिलने से महिलाओं के स्वास्थ्य और समय की बचत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है?	हां	30	42.86
	नहीं	26	37.14
	अनिश्चित	14	20.00
	कुल योग	70	100

सारणी-5: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या एनएसएपी (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग) के माध्यम से लाभार्थियों को बुढ़ापे में संबल मिला है?	हां	33	47.14
	नहीं	27	38.57
	अनिश्चित	10	14.29
	कुल योग	70	100

सारणी–5 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन) के माध्यम से लाभार्थियों को सामाजिक एवं आर्थिक संबल मिलने के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल उत्तरदाताओं में से 47.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि कार्यक्रम से उन्हें वृद्धावस्था, विधवा अथवा दिव्यांगता की स्थिति में आवश्यक सहायता प्राप्त हुई। इसके विपरीत 38.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें अपेक्षित सहायता नहीं मिली, जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रभाव अधिकांश उत्तरदाताओं के लिए सकारात्मक रहा है। लगभग आधे उत्तरदाताओं ने माना कि योजना ने आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी, एक उल्लेखनीय प्रतिशत ने योजना के प्रभाव को नकारा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना के क्रियान्वयन, लाभ वितरण अथवा पहुँच में कुछ व्यावहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दोनों का लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यद्यपि अधिकांश उत्तरदाताओं ने इन योजनाओं के लाभों को स्वीकार किया है, फिर भी कुछ उत्तरदाताओं ने अपेक्षित लाभ न मिलने अथवा प्रभाव स्पष्ट न होने की बात कही है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उनके क्रियान्वयन, जागरूकता तथा लाभ वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

सारणी-6: महात्मा गांधी नरेगा का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या मनरेगा के तहत रोजगार मिलने से लाभार्थियों परिवारों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो पाती हैं?	हां	31	44.29
	नहीं	26	37.14
	अनिश्चित	13	18.57
	कुल योग	70	100

सारणी-7: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता में सुधार हुआ है?	हां	31	44.29
	नहीं	30	42.86
	अनिश्चित	09	12.86
	कुल योग	70	100

सारणी–6 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध होने से लाभार्थी परिवारों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर पड़े प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल उत्तरदाताओं में से 44.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिलने से उनके परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिली। इसके विपरीत 37.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 18.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा का लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने रोजगार उपलब्ध होने से परिवार की आर्थिक स्थिति एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सुधार होने की पुष्टि की है। हालांकि, एक उल्लेखनीय संख्या ने योजना के अपेक्षित लाभ से असहमति व्यक्त की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना का प्रभाव सभी लाभार्थियों पर समान रूप से नहीं पड़ा है।

सारणी–7 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ने के बाद महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता में सुधार के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल उत्तरदाताओं में से 44.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि मिशन से जुड़ने के बाद महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता में सुधार हुआ है।

इसके विपरीत 42.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें इस प्रकार का कोई विशेष सुधार अनुभव नहीं हुआ। जबकि 12.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि, 'हाँ' और 'नहीं' के उत्तरों में बहुत कम अंतर है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना का प्रभाव मिश्रित रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि जहाँ कुछ महिलाओं को स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों एवं वित्तीय गतिविधियों से लाभ मिला, वहीं कुछ लाभार्थियों तक इसका अपेक्षित प्रभाव पूरी तरह नहीं पहुँच पाया है।

इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोनों का लाभार्थियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मनरेगा ने रोजगार उपलब्ध कराकर परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान दिया, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी, पर्याप्त संख्या में उत्तरदाताओं द्वारा नकारात्मक अथवा अनिश्चित राय व्यक्त किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि इन योजनाओं के प्रभाव को व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन, जागरूकता तथा लाभों की पहुँच में सुधार की आवश्यकता है।

सारणी-8: पीएम किसान सम्मान निधि का प्रभाव				**सारणी-9: सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभाव**			
योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत	योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि के उपयोग से आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है?	हां	30	42.86	**प्रश्न:** क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने चित्रकूट के गरीब परिवारों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है?	हां	40	57.14
	नहीं	27	38.57		नहीं	19	27.14
	अनिश्चित	13	18.57		अनिश्चित	11	15.71
	कुल योग	70	100		कुल योग	70	100

सारणी–8 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता का लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति पर पड़े प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल उत्तरदाताओं में से 42.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि पीएम–किसान योजना से प्राप्त राशि के उपयोग से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 38.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना से उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वहीं 18.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने योजना को आर्थिक सहायता प्रदान करने में उपयोगी माना है। योजना से प्राप्त राशि ने किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं तथा दैनिक खर्चों की पूर्ति में कुछ हद तक सहायता की है। हालांकि, 'हाँ' और 'नहीं' के उत्तरों के बीच कम अंतर यह दर्शाता है कि योजना का प्रभाव सभी लाभार्थियों के लिए समान रूप से संतोषजनक नहीं रहा। अतः योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सहायता राशि एवं उसके समयबद्ध वितरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सारणी–9 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल उत्तरदाताओं में से 57.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने उनके परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके विपरीत 27.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना से उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिला, जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभाव अन्य योजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक रहा है, क्योंकि आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने इसके पक्ष में राय व्यक्त की है। इससे यह संकेत मिलता है कि रियायती दरों पर खाद्यान्न की उपलब्धता ने गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा उनकी आर्थिक कठिनाइयों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी, कुछ उत्तरदाताओं द्वारा असंतोष व्यक्त किया जाना यह दर्शाता है कि योजना के क्रियान्वयन एवं वितरण व्यवस्था में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों ने लाभार्थियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। पीएम–किसान योजना ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभाई। विशेष रूप से पीडीएस के पक्ष में 57.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं की सहमति यह दर्शाती है कि गरीबी निवारण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। हालांकि, दोनों योजनाओं के संदर्भ में कुछ उत्तरदाताओं ने असंतोष अथवा अनिश्चितता व्यक्त की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के प्रभाव को व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन, पारदर्शिता और लाभों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

4.2. गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं का आर्थिक प्रभाव : गरीबी निवारण में विभिन्न सरकारी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का आकलन सारणी–10 से 19 तक प्रस्तुत किया गया है, जिनके तहत सरकारी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण किया गया है।

सारणी–10 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं से जुड़ने के बाद लाभार्थियों के परिवारों की मासिक आय में वृद्धि हुई है और कुल उत्तरदाताओं में से 48.57 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं से जुड़ने के बाद उनके परिवार की मासिक आय में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 38.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें आय में कोई विशेष वृद्धि अनुभव नहीं हुई। जबकि 12.86 प्रतिशत अनिश्चित रहे और स्पष्ट राय नहीं दे सके। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे (48.57 प्रतिशत) लाभार्थियों का मानना है कि सरकारी योजनाओं का उनकी मासिक आय बढ़ाने में सकारात्मक योगदान रहा है। हालांकि, 38.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आय में वृद्धि से इनकार किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया। वहीं 12.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं की अनिश्चितता यह दर्शाती है कि कुछ लाभार्थियों को योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का स्पष्ट अनुभव नहीं हुआ। कुल मिलाकर, सरकारी योजनाओं का परिवारों की मासिक आय पर सकारात्मक लेकिन सीमित प्रभाव दिखाई देता है।

सारणी-10: परिवारों की मासिक आय में वृद्धि पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से जुड़ने के बाद लाभार्थियों परिवारों की मासिक आय में वृद्धि हुई है?	हां	34	48.57
	नहीं	27	38.57
	अनिश्चित	09	12.86
	कुल योग	70	100

सारणी-11: चित्रकूट जिले में गरीबी निवारण पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं का चित्रकूट जिले में गरीबी निवारण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है?	हां	42	60.00
	नहीं	18	25.71
	अनिश्चित	10	14.29
	कुल योग	70	100

सारणी–11 में कुल उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं का चित्रकूट जिले में गरीबी निवारण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और कुल उत्तरदाताओं में से 60.00 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं ने गरीबी निवारण में सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसके विपरीत 25.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 14.29 प्रतिशत अनिश्चित रहे और स्पष्ट राय नहीं दे सके। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (60.00 प्रतिशत) यह मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने चित्रकूट जिले में गरीबी कम करने में सकारात्मक योगदान दिया है। इसके विपरीत 25.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता निश्चित राय नहीं दे सके। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी योजनाओं का गरीबी निवारण पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, किंतु योजनाओं के प्रभाव को व्यापक एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक परिवार इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

सारणी-12: परिवारों के आय स्तर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के आय स्तर को बढ़ाया है?	हां	33	47.14
	नहीं	27	38.57
	अनिश्चित	10	14.29
	कुल योग	70	100

सारणी-13: परिवारों के वित्तीय समावेशन पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से गरीब परिवारों का वित्तीय समावेशन हुआ है?	हां	41	58.57
	नहीं	20	28.57
	अनिश्चित	09	12.86
	कुल योग	70	100

सारणी–12 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या गरीबी निवारण सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के आय स्तर को बढ़ाया है और कुल उत्तरदाताओं में से 47.14 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के कारण परिवारों के आय स्तर में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 38.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का आय स्तर पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे और उन्होंने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 47.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि गरीबी निवारण सरकारी योजनाओं ने परिवारों के आय स्तर में वृद्धि करने में सकारात्मक योगदान दिया है। हालांकि 38.57 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत नहीं हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। वहीं 14.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं की अनिश्चितता यह दर्शाती है कि कुछ लोगों को योजनाओं के प्रभाव का स्पष्ट अनुभव नहीं हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि गरीबी निवारण योजनाओं का परिवारों के आय स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, किंतु इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

सारणी–13 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से गरीब परिवारों का वित्तीय समावेशन हुआ है और कुल उत्तरदाताओं में से 58.57 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवार वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया से जुड़े हैं। इसके विपरीत 28.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का वित्तीय समावेशन पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 12.86 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि 58.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के माध्यम से अधिक लोगों के बैंक खाते खुले, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), बचत, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ी है। दूसरी ओर 28.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, जबकि 12.86 प्रतिशत उत्तरदाता कोई निश्चित राय नहीं दे सके। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने में सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यद्यपि इसकी पहुँच और प्रभावशीलता को बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है।

सारणी-14: लाभार्थियों के उपभोग स्तर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों के उपभोग स्तर में सुधार हुआ है?	हां	34	48.57
	नहीं	25	35.71
	अनिश्चित	11	15.71
	कुल योग	70	100

सारणी-15: बचत और बीमा में वृद्धि पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों परिवारों के बचत और बीमा में वृद्धि हुई है?	हां	38	54.29
	नहीं	22	31.43
	अनिश्चित	10	14.29
	कुल योग	70	100

सारणी–14 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों के उपभोग स्तर में सुधार हुआ है और कुल उत्तरदाताओं में से 48.57 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं से उनके परिवार के उपभोग स्तर में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का उपभोग स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे और उन्होंने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे (48.57 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं के कारण लाभार्थियों के उपभोग स्तर में सुधार हुआ है। इससे संकेत मिलता है कि योजनाओं से प्राप्त आय एवं अन्य सुविधाओं के कारण परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं, खाद्य सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य उपभोग संबंधी खर्चों को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता निश्चित राय नहीं दे सके। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों के उपभोग स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, किन्तु इस प्रभाव को अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

सारणी–15 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थी परिवारों की बचत और बीमा में वृद्धि हुई है और कुल उत्तरदाताओं में से 54.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के कारण परिवारों की बचत तथा बीमा सुरक्षा में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 31.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का बचत एवं बीमा पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 54.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों में बचत की प्रवृत्ति तथा बीमा सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया है। इसका अर्थ है कि योजनाओं के माध्यम से परिवारों की आर्थिक सुरक्षा में सुधार हुआ और वे भविष्य के जोखिमों से बचाव के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। हालांकि 31.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया और 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों की बचत एवं बीमा कवरेज में सकारात्मक योगदान दिया है, किन्तु सभी पात्र परिवारों तक इन लाभों की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

सारणी-16: वित्तीय सहायता के अवसर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभांवित परिवारों को वित्तीय सहायता के अवसर बढे हैं?	हां	41	58.57
	नहीं	23	32.86
	अनिश्चित	06	8.57
	कुल योग	70	100

सारणी-17: वित्तीय समझ और बाजार पहुंच पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों परिवारों के वित्तीय समझ और बाजार पहुंच में वृद्धि हुई है?	हां	45	64.29
	नहीं	18	25.71
	अनिश्चित	07	10.00
	कुल योग	70	100

सारणी–16 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभार्थी परिवारों को वित्तीय सहायता के अवसर बढ़े हैं और कुल उत्तरदाताओं में से 58.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अवसरों में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 32.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं से वित्तीय सहायता के अवसरों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। जबकि 8.57 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे और उन्होंने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। इससे स्पष्ट होता है कि 58.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अवसरों का विस्तार किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के माध्यम से ऋण, अनुदान, सब्सिडी और अन्य आर्थिक सहायता तक पहुँच पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है। दूसरी ओर 32.86 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत नहीं हैं, जबकि 8.57 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का वित्तीय सहायता के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, यद्यपि इसकी पहुँच और प्रभावशीलता को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

सारणी–17 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों की वित्तीय समझ और बाजार तक पहुँच में वृद्धि हुई है और कुल उत्तरदाताओं में से 64.29 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं ने उनकी वित्तीय जागरूकता तथा बाजार तक पहुँच को बढ़ाया है। इसके विपरीत 25.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि 64.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सरकारी योजनाओं के कारण लाभार्थियों की वित्तीय समझ में वृद्धि हुई है तथा उन्हें बाजार, बैंकिंग सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक बेहतर पहुँच प्राप्त हुई है। यह प्रतिशत सभी उत्तरों में सर्वाधिक है, जो दर्शाता है कि योजनाओं ने लाभार्थियों की आर्थिक जागरूकता और बाजार से जुड़ाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी ओर 25.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, जबकि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का वित्तीय साक्षरता, आर्थिक जागरूकता एवं बाजार पहुँच पर उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे लाभार्थियों की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है।

सारणी-18: अनौपचारिक ऋण की कमी पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या वित्तीय समर्थन देने वाली योजनाओं के लाभ से परिवार की अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हुई है?	हां	38	54.29
	नहीं	21	30.00
	अनिश्चित	11	15.71
	कुल योग	70	100

सारणी-19: उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभांवित परिवारों के उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है?	हां	42	60.00
	नहीं	20	28.57
	अनिश्चित	08	11.43
	कुल योग	70	100

सारणी–18 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या वित्तीय समर्थन देने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ से परिवारों की अनौपचारिक ऋण (साहूकार, महाजन आदि) पर निर्भरता कम हुई है और कुल उत्तरदाताओं में से 54.29 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के कारण अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी आई है। इसके विपरीत 30.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे और उन्होंने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। इससे स्पष्ट होता है कि 54.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाली वित्तीय सहायता, बैंकिंग सुविधाओं और अन्य संस्थागत सहायता के कारण परिवारों की साहूकारों एवं अन्य अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की आवश्यकता में कमी आई है। दूसरी ओर 30.00 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत नहीं हैं, जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता निश्चित राय नहीं दे सके। इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं ने अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करने में सकारात्मक योगदान दिया है, यद्यपि इस लाभ को अधिक व्यापक बनाने के लिए योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता है।

सारणी–19 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभार्थी परिवारों के उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है और कुल उत्तरदाताओं में से 60.00 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के कारण उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 28.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 11.43 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों को कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएँ, पशुपालन, स्वरोजगार हेतु उपकरण, ऋण एवं अन्य उत्पादक संसाधनों तक बेहतर पहुँच प्रदान की है। इससे उनकी आय सृजन क्षमता तथा आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर 28.57 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत नहीं हैं, जबकि 11.43 प्रतिशत उत्तरदाता कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं

कर सके। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे लाभार्थी परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है।

4.3. गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं का सामाजिक प्रभाव : गरीबी निवारण में विभिन्न सरकारी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन सारणी–20 से 31 तक प्रस्तुत किया गया है, जिनके तहत सरकारी योजनाओं के सामजिक प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण किया गया है।

सारणी–20 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 50.00 प्रतिशत का मानना है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से गरीब परिवारों का सशक्तिकरण हुआ है। इसके विपरीत 31.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि योजनाओं से गरीब परिवारों का सशक्तिकरण नहीं हुआ। जबकि 18.57 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट है कि आधे (50 प्रतिशत) उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को गरीब परिवारों के सशक्तिकरण में प्रभावी मानते हैं। यद्यपि लगभग एक–तिहाई उत्तरदाता (31.43 प्रतिशत) इससे सहमत नहीं हैं, फिर भी सकारात्मक मत रखने वालों की संख्या अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि सरकारी योजनाओं का गरीब परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, हालांकि इसकी प्रभावशीलता सभी लाभार्थियों तक समान रूप से नहीं पहुँच सकी है।

सारणी-20: गरीब परिवारों के सशक्तिकरण पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से गरीब परिवारों का सशक्तिकरण हुआ है?	हां	35	50.00
	नहीं	22	31.43
	अनिश्चित	13	18.57
	कुल योग	70	100

सारणी-21: महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है?	हां	37	52.86
	नहीं	23	32.86
	अनिश्चित	10	14.29
	कुल योग	70	100

सारणी–21 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 52.86 प्रतिशत का मानना है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। इसके विपरीत 32.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हुआ। जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (52.86 प्रतिशत) सरकारी योजनाओं को महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक मानते हैं। जबकि 32.86 प्रतिशत उत्तरदाता इससे असहमत हैं और 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता कोई स्पष्ट राय नहीं दे सके। इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं निर्णयात्मक भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस तरह दोनों सारणियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव महिलाओं के सशक्तिकरण (52.86 प्रतिशत) पर गरीब परिवारों के सशक्तिकरण (50.00 प्रतिशत) की अपेक्षा थोड़ा अधिक सकारात्मक पाया गया। अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने गरीबी निवारण के साथ–साथ समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर गरीब परिवारों एवं महिलाओं, के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि कुछ उत्तरदाता असहमत या अनिश्चित भी हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के प्रभाव को व्यापक एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

सारणी-22: ग्रामीण परिवारों के पलायन पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या गाँव में ही रोजगार योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीण परिवारों की ओर होने वाले पलायन में कमी आई है?	हां	33	47.14
	नहीं	21	30.00
	अनिश्चित	16	22.86
	कुल योग	70	100

सारणी-23: युवाओं के स्थानीय रोजगार पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकार संचालित कौशल विकास योजनाओं से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार या स्वरोजगार मिला है?	हां	35	50.00
	नहीं	20	28.57
	अनिश्चित	15	21.43
	कुल योग	70	100

सारणी–22 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 47.14 प्रतिशत का मत है कि गाँव में रोजगार योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीण परिवारों के पलायन में कमी आई है। इसके विपरीत 30.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजनाओं से पलायन में कोई कमी नहीं आई। जबकि 22.86 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में अनिश्चित पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 47.14 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि सरकारी रोजगार योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। हालांकि 30 प्रतिशत उत्तरदाता इससे असहमत हैं तथा 22.86 प्रतिशत उत्तरदाता कोई स्पष्ट राय नहीं दे सके। इससे संकेत मिलता है कि योजनाओं का प्रभाव सकारात्मक है, लेकिन सभी क्षेत्रों में यह समान रूप से प्रभावी नहीं रहा है।

सारणी–23 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 50.00 प्रतिशत का मत है कि सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजनाओं से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। इसके विपरीत 28.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कौशल विकास योजनाओं से स्थानीय रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ। जबकि 21. 43 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आधे उत्तरदाता कौशल विकास योजनाओं को स्थानीय रोजगार सृजन की दृष्टि से प्रभावी मानते हैं। वहीं एक चौथाई से अधिक उत्तरदाता इससे असहमत हैं तथा 21.43 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी कौशल विकास एवं रोजगारपरक योजनाओं ने युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस तरह, दोनों सारणियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव युवाओं के स्थानीय रोजगार (50.00 प्रतिशत) पर ग्रामीण परिवारों के पलायन में कमी (47.14 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ा अधिक सकारात्मक पाया गया। अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि रोजगार एवं कौशल विकास से संबंधित सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त हुआ है और ग्रामीण परिवारों के पलायन में भी कमी आई है। फिर भी, एक उल्लेखनीय संख्या ऐसे उत्तरदाताओं की है जो इन योजनाओं के प्रभाव से असहमत या अनिश्चित हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभों की पहुँच को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

सारणी-24: बच्चों की शिक्षा के अवसर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिले हैं?	हां	34	48.57
	नहीं	23	32.86
	अनिश्चित	13	18.57
	कुल योग	70	100

सारणी-25: अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अवसर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अवसर मिले हैं?	हां	36	51.43
	नहीं	24	34.29
	अनिश्चित	10	14.29
	कुल योग	70	100

सारणी–24 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 48.57 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत 32.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं से बच्चों की शिक्षा के अवसरों में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। जबकि 18.57 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में अनिश्चित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे (48.57 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए हैं। वहीं लगभग एक–तिहाई उत्तरदाता इस मत से सहमत नहीं हैं और 18.57 प्रतिशत उत्तरदाता कोई स्पष्ट राय नहीं दे सके। इससे संकेत मिलता है कि शिक्षा संबंधी सरकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, किंतु इनका लाभ सभी लाभार्थियों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है।

सारणी–25 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 51.43 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभार्थी परिवारों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत 34.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजनाओं से स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में अनिश्चित रहे। इससे ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (51.43 प्रतिशत) सरकारी योजनाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने में प्रभावी मानते हैं। दूसरी ओर एक–तिहाई उत्तरदाता इससे असहमत हैं तथा 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं ने गरीब एवं लाभार्थी परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस तरह, दोनों सारणियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता (51.43 प्रतिशत) पर बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर (48.57 प्रतिशत) की अपेक्षा थोड़ा अधिक सकारात्मक पाया गया। अधिकांश उत्तरदाता यह मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा लाभार्थी परिवारों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि कुछ उत्तरदाता इन योजनाओं के प्रभाव से असहमत या अनिश्चित हैं, फिर भी समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी योजनाओं ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक योगदान दिया है।

सारणी–26 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 52.86 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसके विपरीत 31.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं से रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई। जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (52.86 प्रतिशत) का मानना है कि सरकारी योजनाओं ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है। जबकि लगभग एक–तिहाई उत्तरदाता इससे असहमत हैं और 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता कोई स्पष्ट राय नहीं दे

सके। इससे संकेत मिलता है कि रोजगारोन्मुखी सरकारी योजनाओं ने लाभार्थियों के लिए रोजगार एवं आजीविका के अवसरों का विस्तार करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है, यद्यपि इसका लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है।

सारणी-26: रोजगार के अवसर पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से रोजगार के अवसर बढे हैं?	हां	37	52.86
	नहीं	22	31.43
	अनिश्चित	11	15.71
	कुल योग	70	100

सारणी-27: लाभार्थियों के जीवन स्तर पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है?	हां	36	51.43
	नहीं	19	27.14
	अनिश्चित	15	21.43
	कुल योग	70	100

सारणी–27 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 51.43 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 27.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजनाओं से जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। जबकि 21.43 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में अनिश्चित हैं। इससे ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (51.43 प्रतिशत) यह मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थियों के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार किया है। वहीं लगभग एक–चौथाई प्रतिशत उत्तरदाता इससे असहमत हैं तथा 21.43 प्रतिशत उत्तरदाता कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने आय, जीवन–यापन की सुविधाओं तथा सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस तरह दोनों सारणियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव रोजगार के अवसरों में वृद्धि (52.86 प्रतिशत) तथा लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार (51.43 प्रतिशत) दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक पाया गया है। रोजगार के अवसरों पर प्रभाव का प्रतिशत जीवन स्तर में सुधार की तुलना में थोड़ा अधिक है। अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने रोजगार सृजन, आय में वृद्धि तथा जीवन–यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि कुछ उत्तरदाता इन योजनाओं के प्रभाव से असहमत या अनिश्चित हैं, फिर भी समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी योजनाएँ गरीबी उन्मूलन एवं लाभार्थियों के सामाजिक–आर्थिक विकास में प्रभावी सिद्ध हुई हैं।

सारणी-28: नए कौशल सीखने के अवसर पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों को नए कौशल सीखने के अवसर मिले हैं?	हां	35	50.00
	नहीं	21	30.00
	अनिश्चित	14	20.00
	कुल योग	70	100

सारणी-29: सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों के सामाजिक सुरक्षा का स्तर बढ़ा है?	हां	34	48.57
	नहीं	25	35.71
	अनिश्चित	11	15.71
	कुल योग	70	100

सारणी–28 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों को नए कौशल सीखने के अवसर मिले हैं और कुल उत्तरदाताओं में से 50.00 प्रतिशत का मानना है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभांवित परिवारों को नए कौशल सीखने के अवसर मिले हैं। यह दर्शाता है कि योजनाएं कौशल विकास में काफी हद तक सफल रही हैं। इसके विपरीत 30.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें नए कौशल सीखने का कोई प्रभाव नहीं पडा है। जबकि 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में स्पष्ट नहीं हैं और उन्होंने श्अनिश्चितश का विकल्प चुना है।

सारणी–29 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों के सामाजिक सुरक्षा का स्तर बढ़ा है और कुल उत्तरदाताओं में से 48.57 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं से उनके सामाजिक सुरक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता इस प्रभाव को लेकर अनिश्चित हैं। उपर्युक्त दोनों सारणियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं का गरीबी निवारण पर सकारात्मक प्रभाव अधिक रहा है। लगभग आधे उत्तरदाता मानते हैं कि इन योजनाओं से कौशल विकास (50 प्रतिशत) और सामाजिक सुरक्षा (48.57 प्रतिशत) दोनों क्षेत्रों में सुधार हुआ है, हालांकि अभी भी एक बड़ा वर्ग (30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत) ऐसा है जिसे इन लाभों का अनुभव नहीं हुआ है।

सारणी–30 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ी है और कुल उत्तरदाताओं में से 50.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभांवित परिवारों की बुनियादी सुविधाओं (जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा

आदि) तक पहुंच में सुधार हुआ है। यह दर्शाता है कि आधी आबादी इन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन से सीधे तौर पर लाभान्वित महसूस कर रही है। इसके विपरीत 32.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में कोई खास सुधार या वृद्धि नहीं हुई है। यह संकेत करता है कि योजनाओं का लाभ अभी भी पूरी तरह से समाज के हर तबके तक नहीं पहुंच पाया है। जबकि 17.14 प्रतिशत उत्तरदाता स्पष्ट राय नहीं रखते हैं या उन्होंने 'अनिश्चित' विकल्प का चुनाव किया है।

सारणी-30: बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच पर प्रभाव				सारणी-31: महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत	प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्नः क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ी है?	हां	35	50.00	प्रश्नः क्या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की क्षमता में बदलाव आया है?	हां	33	47.14
	नहीं	23	32.86		नहीं	21	30.00
	अनिश्चित	12	17.14		अनिश्चित	16	22.86
	कुल योग	70	100		कुल योग	70	100

सारणी–31 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की क्षमता में बदलाव आया है और कुल उत्तरदाताओं में से 47.14 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन की क्षमता में सकारात्मक सुधार हुआ है। यह दर्शाता है कि ये समूह महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने में काफी हद तक सफल हो रहे हैं। इसके विपरीत 30.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की क्षमता में कोई बदलाव नहीं आया है। जबकि 22.86 प्रतिशत उत्तरदाता स्पष्ट राय देने में असमर्थ रहे हैं। महिलाओं के स्वावलंबन को लेकर अनिश्चितता का यह प्रतिशत (लगभग 23 प्रतिशत) बुनियादी सुविधाओं की तुलना में थोड़ा अधिक है।

उपर्युक्त दोनों सारणियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं का समाज पर अनुकूल और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बुनियादी सुविधाओं के स्तर पर आधी आबादी (50 प्रतिशत) सकारात्मक सुधार का अनुभव कर रही है। जबकि महिला सशक्तिकरण के स्तर पर लगभग 47 प्रतिशत का मानना है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं। हालांकि, दोनों ही क्षेत्रों में अभी भी 30 प्रतिशत से अधिक लोगों तक योजनाओं के सकारात्मक परिणाम नहीं पहुंच पाए हैं, जो नीति निर्माताओं और योजना क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए सुधार पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

4.4. लिकर्ट स्केल पर सरकारी योजनाओं का गरीबी निवारण पर प्रभाव का आकलनः लिकर्ट स्केल (सहमत, अनिश्चित एवं असहमत) के माध्यम से सरकारी गरीबी निवारक योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन सारणी–32 में प्रस्तुत किया गया है। इस सारणी में कुल 70 उत्तरदाताओं की राय के आधार पर विभिन्न प्रभावकारी कारकों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी–32 के पहले प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं से परिवार का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और इस पर 45.71 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 18.57 प्रतिशत अनिश्चित तथा 35.71 प्रतिशत असहमत पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया है।

सारणी के दूसरे प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाएँ गरीबों तक प्रभावी ढंग से पहुँच रही हैं और इस पर 52.86 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 14.29 प्रतिशत अनिश्चित तथा 32.86 प्रतिशत असहमत पाए गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता योजनाओं की पहुँच को प्रभावी मानते हैं।

सारणी के तीसरे प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के लाभार्थी चयन में पारदर्शिता है और इस पर 48.57 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 24.29 प्रतिशत अनिश्चित तथा 27.14 प्रतिशत असहमत पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता लाभार्थी चयन प्रक्रिया को अपेक्षाकृत पारदर्शी मानते हैं, यद्यपि कुछ उत्तरदाताओं में संशय भी है।

सारणी के चौथे प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं से गरीबी कम करने में सहायता मिली है और इस पर 54.29 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 15.71 प्रतिशत अनिश्चित तथा 30.00 प्रतिशत असहमत पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि अधिकांश लाभार्थियों के अनुसार सरकारी योजनाओं ने गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सारणी के पांचवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार है और इस पर 58.57 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 14.29 प्रतिशत अनिश्चित तथा 27.14

प्रतिशत असहमत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि आधे से अधिक उत्तरदाता योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हैं, फिर भी एक छोटा वर्ग इससे असहमत है।

सारणी-32: लिकर्ट स्केल पर सरकारी योजनाओं का गरीबी निवारण पर प्रभाव का आकलन

प्रभाव कारक	इकाई	समग्र सहमति	अनिश्चित	समग्र असहमति	कुल योग
क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं से परिवार का जीवन स्तर बेहतर हुआ है?	आवृत्ति	32	13	25	70
	प्रतिशत	45.71	18.57	35.71	100
क्या सरकारी योजनाएँ गरीबों तक प्रभावी ढंग से पहुँच रही हैं?	आवृत्ति	37	10	23	70
	प्रतिशत	52.86	14.29	32.86	100
क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के लाभार्थी चयन में पारदर्शिता है?	आवृत्ति	34	17	19	70
	प्रतिशत	48.57	24.29	27.14	100
क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं से गरीबी कम करने में सहायता मिली है?	आवृत्ति	38	11	21	70
	प्रतिशत	54.29	15.71	30.00	100
क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार है?	आवृत्ति	41	10	19	70
	प्रतिशत	58.57	14.29	27.14	100
क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं?	आवृत्ति	40	09	21	70
	प्रतिशत	57.14	12.86	30.00	100
क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद गाँव से पलायन में कमी आई है?	आवृत्ति	32	15	23	70
	प्रतिशत	45.71	21.43	32.86	100
क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है?	आवृत्ति	37	11	22	70
	प्रतिशत	52.86	15.71	31.43	100
क्या योजनाओं के लाभ आवंटन में किसी प्रकार का सामाजिक या जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है?	आवृत्ति	30	16	24	70
	प्रतिशत	42.86	22.86	34.29	100
क्या सरकारी योजनाओं की जानकारी का स्तर, योजना के लाभ प्राप्त करने को प्रभावित करता है?	आवृत्ति	33	12	25	70
	प्रतिशत	47.14	17.14	35.71	100

सारणी के छठवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं और इस पर 57.14 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 12.86 प्रतिशत अनिश्चित तथा 30.00 प्रतिशत असहमत हैं। सारणी के दूसरे सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम से स्पष्ट होता है कि अधिकांश लाभार्थी योजनाओं के समग्र प्रदर्शन से संतुष्ट हैं।

सारणी के सातवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद गाँव से पलायन में कमी आई है और इस पर 45.71 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 21.43 प्रतिशत अनिश्चित तथा 32.86 प्रतिशत असहमत हैं। इससे संकेत मिलता है कि योजनाओं ने कुछ हद तक ग्रामीण पलायन को कम करने में योगदान दिया है।

सारणी के आठवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है और इस पर 52.86 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 15.71 प्रतिशत अनिश्चित तथा 31.43 प्रतिशत असहमत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने योजनाओं के कारण सामाजिक सम्मान तथा आत्मनिर्भरता में वृद्धि का अनुभव किया है।

सारणी के नौवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या योजनाओं के लाभ आवंटन में किसी प्रकार का सामाजिक या जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है और इस पर 42.86 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 22.86 प्रतिशत अनिश्चित तथा 34.29 प्रतिशत असहमत हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि कुछ उत्तरदाताओं ने लाभ वितरण में सामाजिक या जातिगत भेदभाव की संभावना व्यक्त की है, जबकि एक बड़ा वर्ग इससे असहमत भी है।

सारणी के दसवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं की जानकारी का स्तर, योजना के लाभ प्राप्त करने को प्रभावित करता है और इस पर 47.14 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 17.14 प्रतिशत अनिश्चित तथा 35.71 प्रतिशत असहमत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि योजनाओं की पर्याप्त जानकारी होने से लाभ प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है।

कुल मिलाकर, सारणी–17 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के प्रभाव को सकारात्मक माना है। विशेष रूप से योजनाओं के समग्र प्रदर्शन (57.14 प्रतिशत),

गरीबी कम करने में योगदान (54.29 प्रतिशत), गरीबों तक योजनाओं की प्रभावी पहुँच (52.86 प्रतिशत) तथा सामाजिक सम्मान एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि (52.86 प्रतिशत) के संबंध में अधिकतर उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की है। साथ ही, योजनाओं से जीवन स्तर में सुधार, लाभार्थी चयन में पारदर्शिता तथा जानकारी के महत्व को भी अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है। हालाँकि, कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार, लाभों के वितरण में संभावित सामाजिक या जातिगत भेदभाव तथा कुछ योजनाओं के प्रभाव को लेकर उत्तरदाताओं ने असहमति या अनिश्चितता भी व्यक्त की है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं ने लाभार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किन्तु उनकी प्रभावशीलता को अधिक बढ़ाने के लिए पारदर्शिता, जागरूकता, समान लाभ वितरण तथा बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

5. परिणाम और परिचर्चा : प्रस्तुत शोध पत्र में सरकार द्वारा संचालित 10 योजनायों के आधार पर गरीबी निवारण पर उनके प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है और इसके लिए संरचित प्रश्नावली के माध्यम से कुल 70 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण में शामिल किया गया है। योजनाओं पर प्रभाव की प्रतिक्रया के लिए नमूने में ऐसे गरीब परिवारों को शामिल किया गया है, जो कम से कम 3 अथवा 3 से अधिक योजनाओं के लाभार्थी हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि लगभग आधे उत्तरदाताओं ने योजना को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में लाभकारी माना है अर्थात योजना का प्रभाव सकारात्मक रहा है, लेकिन इसका लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना का सामाजिक प्रतिष्ठा पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, अर्थात योजना ने अनेक परिवारों के सामाजिक सम्मान में वृद्धि की है, किन्तु इसका प्रभाव सभी लाभार्थियों में समान रूप से परिलक्षित नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दोनों का लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यद्यपि अधिकांश उत्तरदाताओं ने इन योजनाओं के लाभों को स्वीकार किया है, फिर भी कुछ उत्तरदाताओं ने अपेक्षित लाभ न मिलने अथवा प्रभाव स्पष्ट न होने की बात कही है। इसलिए योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उनके क्रियान्वयन, जागरूकता तथा लाभ वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोनों का लाभार्थियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मनरेगा ने रोजगार उपलब्ध कराकर परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान दिया, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी, पर्याप्त संख्या में उत्तरदाताओं की नकारात्मक अथवा अनिश्चित राय से स्पष्ट है कि इन योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन, जागरूकता तथा लाभों की पहुँच में सुधार की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों ने लाभार्थियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। पीएम–किसान योजना ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभाई। विशेष रूप से पीडीएस के पक्ष में 57.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं की सहमति यह दर्शाती है कि गरीबी निवारण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। हालांकि, कुछ उत्तरदाताओं ने असंतोष अथवा अनिश्चितता व्यक्त की है, जिससे योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन, पारदर्शिता तथा लाभों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अध्ययन बताता है कि 48.57 प्रतिशत लाभार्थियों की मासिक आय बढ़ाने में सरकारी योजनाओं का सकारात्मक योगदान रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया। अतरू यह कह सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का गरीब परिवारों की मासिक आय पर सकारात्मक लेकिन सीमित प्रभाव दिखाई देता है। जबकि 47.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि गरीबी निवारण सरकारी योजनाओं ने परिवारों के आय स्तर में वृद्धि करने में सकारात्मक योगदान दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। हालांकि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने चित्रकूट जिले में गरीबी कम करने में सकारात्मक योगदान दिया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी योजनाओं का गरीबी निवारण पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, किंतु योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक परिवार इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण (58.57 प्रतिशत का मत) भूमिका निभाई है। इससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के माध्यम से अधिक लोगों के बैंक खाते खुले, प्रत्यक्ष लाभ

अंतरण (डीबीटी), बचत, ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ी है। यद्यपि इसकी पहुँच और प्रभावशीलता को बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है। 48.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं के कारण लाभार्थियों के उपभोग स्तर में सुधार हुआ है। इससे संकेत मिलता है कि योजनाओं से प्राप्त आय एवं अन्य सुविधाओं के कारण परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं, खाद्य सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य उपभोग संबंधी खर्चों को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। लेकिन 51.42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने असंतोष अथवा अनिश्चितता व्यक्त की है, जिससे सरकारी योजनाओं के प्रभाव को व्यापक बनाने की आवश्यकता सिद्ध हो रही है।

अध्ययन से स्पष्ट है कि 54.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों में बचत की प्रवृत्ति तथा बीमा सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया है। इसका अर्थ है कि योजनाओं के माध्यम से परिवारों की आर्थिक सुरक्षा में सुधार हुआ और वे भविष्य के जोखिमों से बचाव के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। इसी तरह 58.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अवसरों का विस्तार किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के माध्यम से ऋण, अनुदान, सब्सिडी और अन्य आर्थिक सहायता तक पहुँच पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है। जबकि 64.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सरकारी योजनाओं के कारण लाभार्थियों की वित्तीय समझ में वृद्धि हुई है तथा उन्हें बाजार, बैंकिंग सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक बेहतर पहुँच प्राप्त हुई है। यह प्रतिशत सभी उत्तरों में सर्वाधिक है, जो दर्शाता है कि योजनाओं ने लाभार्थियों की आर्थिक जागरूकता और बाजार से जुड़ाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद सरकारी योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

आधे से अधिक उत्तरदाताओं (54.29 प्रतिशत) ने माना कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाली वित्तीय सहायता, बैंकिंग सुविधाओं तथा अन्य संस्थागत सहायता के कारण परिवारों की साहूकारों एवं अन्य अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की आवश्यकता में कमी आई है। जबकि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों को कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएँ, पशुपालन, स्वरोजगार हेतु उपकरण, ऋण एवं अन्य उत्पादक संसाधनों तक बेहतर पहुँच प्रदान की है। इससे उनकी आय सृजन क्षमता तथा आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करने में सकारात्मक योगदान दिया है और योजनाओं का उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे लाभार्थी परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है।

तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव महिलाओं के सशक्तिकरण (52.86 प्रतिशत) पर गरीब परिवारों के सशक्तिकरण (50.00 प्रतिशत) की अपेक्षा थोड़ा अधिक सकारात्मक पाया गया। अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने गरीबी निवारण के साथ–साथ समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर गरीब परिवारों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह सरकारी योजनाओं का प्रभाव युवाओं के स्थानीय रोजगार (50.00 प्रतिशत) पर ग्रामीण परिवारों के पलायन में कमी (47.14 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ा अधिक सकारात्मक पाया गया। अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि रोजगार एवं कौशल विकास से संबंधित सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त हुआ है और ग्रामीण परिवारों के पलायन में भी कमी आई है। हालांकि कुछ उत्तरदाता असहमत या अनिश्चित भी हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

सरकारी योजनाओं का प्रभाव अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता (51.43 प्रतिशत) पर बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर (48.57 प्रतिशत) की अपेक्षा थोड़ा अधिक सकारात्मक पाया गया। अधिकांश उत्तरदाता यह मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा लाभार्थी परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह, सरकारी योजनाओं का प्रभाव रोजगार के अवसरों में वृद्धि (52.86 प्रतिशत) तथा लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार (51.43 प्रतिशत) दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक पाया गया है। रोजगार के अवसरों पर प्रभाव का प्रतिशत जीवन स्तर में सुधार की तुलना में थोड़ा अधिक है। अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने रोजगार सृजन, आय में वृद्धि तथा जीवन–यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाएँ गरीबी उन्मूलन एवं लाभार्थियों के सामाजिक–आर्थिक विकास में प्रभावी सिद्ध हो रही हैं।

कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा में सकारात्मक प्रतिक्रिया का अनुपात (कौशल विकास में 50.00 प्रतिशत और सामाजिक सुरक्षा में 48.57 प्रतिशत) सरकारी योजनाओं के सकारात्मक सामाजिक प्रभावों को परिलक्षित कर रहा है। हालांकि सकारात्मक प्रभाव के बावजूद, एक हिस्सा ऐसा भी है जो योजनाओं के लाभ से अछूता है। कौशल विकास के क्षेत्र में 30 प्रतिशत और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगभग 36 प्रतिशत लोगों का नकारात्मक उत्तर यह दर्शाता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन और योजनाओं के अंतिम छोर तक पहुंच में अभी भी कमियां हैं। फिर भी यह

कहा जा सकता है कि गरीबी निवारण की दिशा में संचालित सरकारी योजनाएं अपने सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक सफल रही हैं। हालांकि, इन योजनाओं की पूर्ण सफलता सुनिश्चित करने के लिए उन 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत वंचित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए मौजूदा नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चित्रकूट जिले में गरीबी निवारण हेतु संचालित सरकारी योजनाओं का समग्र प्रभाव सकारात्मक एवं उल्लेखनीय रहा है। इन योजनाओं ने ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने, रोजगार उपलब्ध कराने, खाद्य एवं आवास सुरक्षा सुनिश्चित करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परिणामस्वरूप अनेक परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और गरीबी की तीव्रता में कमी आई है।

मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया, जिससे मौसमी बेरोजगारी एवं पलायन में कमी आई है। कृषि के संकट और सूखे के समय ग्रामीण आबादी के लिए मनरेगा पलायन रोकने का सबसे बड़ा जरिया बना है। मजदूरों की आय में वृद्धि हुई और ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास को भी गति मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने चित्रकूट के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, हजारों बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं, इससे आवासीय सुरक्षा, स्वच्छता एवं जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न मिलने से खाद्य असुरक्षा में कमी आई तथा परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मिल रहे मुफ्त राशन ने जिले में भुखमरी की समस्या को खत्म किया है और अति–गरीब परिवारों के मासिक घरेलू खर्च को काफी कम किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को छोटे व्यवसायों (जैसे सिलाई, अगरबत्ती बनाना, डेयरी) के लिए वित्तीय सहायता और स्वरोजगार, बचत एवं ऋण की सुविधा प्राप्त हुई, जिससे परिवारों की आय में सीधा सुधार हुआ है। इससे महिला सशक्तिकरण एवं परिवार की आय में वृद्धि हुई। एनएसएपी के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने कमजोर वर्गों को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान की और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार किया है। जिले के सीमांत और छोटे किसानों को पीएम किसान द्वारा मिलने वाली 6000 रुपये की वार्षिक नकद राशि से खेती के लिए बीज और खाद खरीदने में मदद मिलती है, जिससे वे साहूकारों के कर्ज जाल से बच पा रहे हैं।

कुल मिलाकर, गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य रोजगार सृजन, आय वृद्धि, वित्तीय समावेशन, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस दिशा में प्रस्तुत अध्ययन बताता है कि सरकारी योजनाओं ने चित्रकूट को 'पिछड़ेपन के टैग' से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है और बुनियादी सुविधाओं के स्तर पर यहाँ की गरीबी को काफी हद तक कम किया है। इसके बावजूद योजनाओं की जानकारी का अभाव, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ न पहुँच पाना, प्रशासनिक विलंब एवं भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता से जुड़ी समस्याएँ, दूरस्थ क्षेत्रों में योजनाओं का सीमित प्रभाव, स्वरोजगार एवं कौशल विकास के अवसरों का अपर्याप्त होना आदि समस्याएं भी उजागर हुई हैं। इसलिए योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जागरूकता, पारदर्शिता, समयबद्ध क्रियान्वयन, नियमित निगरानी और वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो सरकारी योजनाएं चित्रकूट जिले में सतत एवं समावेशी विकास के साथ–साथ गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होंगी।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. कुमार, प्रतीक एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 40–52। https://doi.org/10.5281/zenodo.21425148
2. लखन, राम एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में फिनटेक की भूमिका का अध्ययन (चित्रकूट जिले के विशेष संदर्भ में), बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वाल्यूम–1, अंक–1, जुलाई–सितंबर 2025, पृष्ठ 36–46। https://doi.org/10.5281/zenodo.21316892
3. दीक्षित, अ. (2021)। बुंदेलखंड क्षेत्र में मनरेगा और ग्रामीण विकासरू चित्रकूट जिले का एक विशेष अध्ययन। भारतीय समाजशास्त्रीय समीक्षा, 12(3), 45–58.
4. मिश्र, स. एवं कुशवाहा, आर. (2023)। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव। ग्रामीण विकास और स्वरोजगार पत्रिका, 8(2), 112–125.

5. सिंह, आर. के. एवं द्विवेदी, पी. (2022)। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में गरीबी कम करने और बाजार तक पहुंच पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रभावरू उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की एक केस स्टडी. जर्नल ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, 14(4), 201–215. https://doi.org/10.xxxx/jri.2022.04
6. तिवारी, ए. के. एवं अनुरागी, आर. (2023)। बुंदेलखंड में मनरेगा का ग्रामीण प्रवासन और गरीबी निवारण पर प्रभावरू चित्रकूट जिले का एक आलोचनात्मक अध्ययन. भारतीय ग्रामीण विकास समीक्षा, 15(2), 78–92.
7. द्विवेदी, एस. एवं मिश्रा, पी. (2024). चित्रकूट जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और महिला सशक्तिकरणरू एक जमीनी मूल्यांकन. समाज कार्य और विकास पत्रिका, 11(1), 45–59.
8. परिहार, एस. एस. एवं कुमार, ए. (2022)। कृषि संकट, गरीबी और राज्य का हस्तक्षेपरू उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का अध्ययन। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, 18(3), 112–126. https://doi.org/10.xxxx/jesd.2022.18.3
9. सिंह, आर. एवं गौतम, पी. के. (2021)। गरीबी उन्मूलन पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रभावरू चित्रकूट जिले से सबूत। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जर्नल, 9(4), 201–214.
10. जिला सांख्यिकी कार्यालय (2024)। जिला सांख्यिकी पत्रिका 2023ः जनपद चित्रकूट। अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार।
11. बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण (2021)। बुंदेलखंड क्षेत्र का समग्र विकास और गरीबी उन्मूलनः एक विशेष रिपोर्ट. उत्तर प्रदेश सरकार.
12. नीति आयोग (2023)। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांकः एक प्रगति समीक्षा 2023। भारत सरकार। https://www.niti.gov.in/
13. ग्रामीण विकास मंत्रालय। (2025)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) वार्षिक रिपोर्ट 2024–25। भारत सरकार।
14. तिवारी, एम. पी. (2020)। बुंदेलखंड में गरीबी और विकास की चुनौतियाँ (प्रथम संस्करण)। अनामिका पब्लिशर्स।
15. गुप्ता, आर. सी. (2020)। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्थारू पिछड़ेपन के कारण और निवारण (द्वितीय संस्करण). अनामिका पब्लिशर्स.
16. शर्मा, वी. एवं कुशवाहा, एस. (संपादित, 2022)। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवर्तन, विकास और सरकारी नीतियां. रावत पब्लिकेशंस.
17. अमर उजाला। (2024, अगस्त 26)। चित्रकूट समाचारः गरीबों को दिलाएं सरकारी योजनाओं का लाभ। अमर उजाला डिजिटल। https://www.amarujala.com/
18. अमर उजाला. (2024, अक्टूबर 12)। चित्रकूट में स्वयं सहायता समूहों से बदली महिलाओं की तकदीर, गरीबी से मिली मुक्ति. अमर उजाला डिजिटल. https://www.amarujala.com/
19. दैनिक जागरण. (2025, जनवरी 18)। आकांक्षी जिला चित्रकूटः नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सुधार, गरीबी सूचकांकों में आई कमी. दैनिक जागरण ऑनलाइन. https://www.jagran.com/

=====

आलेख उद्धरित करें :	मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह एवं लखन, राम (2026)। चित्रकूट जिले के गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–2, अप्रैल–जून, 2026, पृष्ठ 59–78। https://doi.org/10.5281/zenodo.21790094